न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 150/16 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2016/00224

उनवान

1. कुंजबिहारी
2. श्यामबिहारी
3. रासबिहारी

} पुत्रान हरप्रसाद अकवाम ब्राहम्ण निवासी ग्राम पिडयानी तह0 व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. पुरूषोत्तम पुत्र स्व0 श्यामा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पिडयानी तहसील व जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।
3. पीएनबी बछामदी जरिये प्रबंधक पीएनबी बछामदी तहसील भरतपुर।
4. ग्राम आंचलिक बैंक कृष्णानग़र भरतपुर जरिये प्रबन्धक।
5. सोमोती वेवा श्यामा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पिड़यानी तहसील व जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय़ व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर दि0 30.08.2016 मि.नं. 161/13 उनवानी कुंजबिहारी बनाम पुरूषोत्तम आदि।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री चन्द्रशेखर शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–27.02.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रतिवादीगण संख्या 01 आपस में चाचा ताऊ के लडके हैं। वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 600, 614, 607, 873, 872, 865, 332, 594 कुंजबिहारी वगै0 को पुरूषोत्तम से आने हैं। इसी प्रकार खसरा नम्बर 606, 934, 593, 615 कुंजबिहारी वगै0 से पुरूषोत्तम के नाम आने हैं। आराजी खसरा नम्बर किता 27 रकवा 5.89 है0 वादीगण अपीलाण्ट की न्यारानूर खाते में हैं तथा आराजी खसरा नम्बर 24 रकवा 4.44 वाके ग्राम पिडयानी प्रतिवादी की न्यारान्यूर खातेदारी के हैं तथा आराजी खसरा नम्बर किता 12 रकवा 2.34 है0 तथा किता 2 रकवा 33 एयर वाके ग्राम पिडयानी के वादीगण एवं प्रतिवादीगण सम्मलित रूप से खातेदार काश्तकार हैं और सम्मिलित रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार समस्त आराजी खसरा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक जायदाद है, जो उनको उनके बाबा स्व0 हरसरन से उन्हें व उनके पिताओ को विरासत में प्राप्त हुयी है। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या के पिता के समय से ही न्यारानूर खातेदारी में से आराजी खसरा नम्बर 600, 614, 607, 873, 872, 865, 332 को वादीगण अपीलाण्ट काश्त कर रहे हैं जो प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी खसरा नम्बर 606, 934, 593 पर वादीगण अपीलाण्ट के पिता के समय से ही प्रतिवादी संख्या 01 पुरूषोत्तम काश्त कर रहा है किन्तु राजस्व कर्मचारियो की गलती से इन्द्राज वादीगण के नाम हैं अतः वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस्तकरार हक की डिक्री करा पाने का अधिकारी है। इस प्रकार वादीगण अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित आराजी में जो उभयपक्षकारान की सम्मिलित आराजी है को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किया जावें तथा वाद पत्र की मद संख्या 03 के मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 को राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वर्तमान रिकार्ड में इन्द्राज कलमजन कर उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर काबिले खारिजी है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारो के मध्य विधिवत रूप से राजीनामा प्रस्तुत होकर तस्दीक किया जा चुका था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री ना करते हुये, खारिज करने में भूल की है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने न्यायिक दृष्टान्त 1989

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पेज 203, 1994 आरबीजे पेज 34, एवं उच्च न्यायालय ने आरआरडी 1993 पेज 823 में माना है कि यदि पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो गया है तो विभाजन की डिक्री न्यायालय द्वारा उसके अनुसार ही पारित करनी चाहिये। यह है कि विभाजन के दावे में पक्षकारो के मध्य राजीनामा होने पर राज0 सरकार जरिये तहसीलदार की सहमति लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश में यह मानना की अपीलाण्ट के हक में 37 एयर भूमि अतिरिक्त जा रही है इसलिये स्टाम्प चोरी का मामला बनता है। कतई गलत है। विभाजन के दावे में कम या वेशी का कोई असर नहीं पडता है। क्योंकि विवादित आराजी पैतृक है एवं पैतृक आराजी का ही विभाजन चाहा गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को राजीनामा के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित करना चाहिये था। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 संख्या 03 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि आराजी खसरा नम्बर 424, 523, 572, 573, 574, 575, 583, 584, 592, 593, 603, 615, 70, 714, 717, 797, 799, 801, 804, 83, 84, 878, 883, 934 कुल किता 27 रकवा 5.79 है0 में से वादीगण अपीलाण्ट का हिस्सा पृथक–पृथक रूप से रैस्पो0 संख्या 03 में रहन दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 308, 328, 329, 333, 33, 337, 346, 512, 548, 549, 945, 950 कुल किता 12 रकवा 2.34 है0 में वादीगण अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा रैस्पो0 संख्या 03 की बैंक में रहन है। यह है कि उक्त आराजी पर अपीलाण्ट संख्या 01 कुंजबिहारी का दिनांक 12.01.2015 से 378000 रूपये का किसान क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है जिसका वर्तमान में भुगतान 298324 रूपये बकाया है। इसी प्रकार श्यामबिहारी की आराजी पर दिनांक 12.01.15 को 378000 रूपये का किसान क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है जिसकी वर्तमान में 320720 रूपये बकाया है व रामबिहारी की आराजी पर दिनांक 14.07.2014 को 351000 रूपये का किसान क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है जिसकी वर्तमान में 251314 रूपये बकाया है तथा उक्त खातो पर नियमानुसार ब्याज चालू है। अतः कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारान से बैंक के लोन का भुगतान कराये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम अधीनस्थ न्यायालय के इस तर्क से सहमत हैं कि यदि विवादित सभी खसरा नम्बर पक्षकारान को विरासतन प्राप्त हुये हैं तो दोनों पक्षो का रकवा समान होना चाहिये था, जो नहीं है। अतः यह सही है कि प्रस्तुत प्रकरण में स्टाम्प ड्यूटी/मुद्रांक पंजीयन शुल्क की अपवंचना है। इस प्रकारं के अवैध हस्तांतरण को न्यायालय मान्यता नहीं दे सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य बाबत् पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, निर्णय पारित करना चाहिये था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा

भरतपुर

ना करते हुये, स्टाम्प ड्यूटी टालना एवं पक्षकारो की मिलीभगत मानते हुये पूरा दावा ही खारिज कर दिया, जो न्यायसंगत नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.08.2016 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण उपरोक्त तथ्यो की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये एवं मुताबिक राजीनामा, अतिरिक्त भूमि का पक्षकारो से डीएलसी रेट के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी/मुद्रांक पंजीयन शुल्क जमा कराकर, विवादित आराजी का पक्षकारो के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कराने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। उभयपक्षकारान को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.03.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.02.2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर